Annexure-II

# भारत सरकार
# पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
# क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
## Ministry of Environment, Forest and Climate Change
## Regional Office (Central Region)


केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com


पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/02/2016/एफ.सी./760 दिनॉक: 11-1-18

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

Online Proposal No.: FP/UP/TRANS/15377/2015

विषय: पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0 द्वारा 765 के0वी0 एकल परिपथ वाराणसी–बलिया पारेषण लाईन के निर्माण हेतु जनपद जौनपुर में 0.6624 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 32 वृक्षों के पातन तथा जनपद– मऊ में 0.512 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 50 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 1.1744 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 82 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 का पत्रांक–1506/11सी, दिनांक– 01.12.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–1458/11सी–यू0पी0–0180/2015, दिनांक– 13.01.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 20.07.2016 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के पत्रांक– 750/11सी–, 2015, दिनांक– 14.09.2017 द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। प्रकरण में पुनः इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 06.10.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0 द्वारा 765 के0वी0 एकल परिपथ वाराणसी–बलिया पारेषण लाईन के निर्माण हेतु जनपद जौनपुर में 0.6624 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 32 वृक्षों के पातन तथा जनपद– मऊ में 0.512 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 50 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 1.1744 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 82 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर (1.1744x2= 3.488 ha. ) अर्थात् 3.50 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि (1.1744 हे0 वन भूमि) पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौनें पौधों विशेषकर औषधीय पौधों का यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

11/1/18

4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

6. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

10. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अगले निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण को, यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

12. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार को प्रदत्त विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,
11.1.18
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव(वन),वन अनुभाग, 6वां तल,खनु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर उ0 प्र0।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ, उ0 प्र0।
6. सहायक जनरल मैनेजर, पॉवर ग्रिड कार्पो0 लि0, एस 8/108, सी–6, प्रशांतपुरी, डी0आई0जी0 कालोनी, वाराणसी, उ0प्र0।
7. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

## कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–2199 /11–सी– FP/UP/Trans/15377/2015, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 19, 2018

प्रतिलिपि– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2, लखनऊ को प्रस्ताव की एक प्रति एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की एक प्रति सहित इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त विषयगत प्रकरण में विज्ञप्ति निर्गत करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, जौनपुर एवं मऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सहायक जनरल मैनेजर, पॉवर ग्रिड कार्पो0 लि0, एस 8/108, सी–6, प्रशांतपुरी, डी0आई0जी0 कालोनी, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।